आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	सारण समाहरणालय, छपरा। **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील वाद सं0 85/2012** **धर्मनाथ प्रसाद बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा** **आदेश**	
9/1/2014	संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2202 दिनांक 24.7.2012 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला स्तरीय जॉच दल द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री धर्मनाथ प्रसाद, अनुज्ञप्ति सं0 27/2007, पंचायत–कर्णकुदरिया, प्रखंड–मशरक की दुकान की जॉच, जॉच दल संख्या–02 द्वारा किया गया था। जॉच के क्रम में विक्रेता का दुकान बंद पाया गया था तथा विक्रेता अनुपस्थित था। उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा ने विक्रेता से कारणपृच्छा के साथ दूकान से संबंधित सभी अन्य कागजात मूल में मॉग की थीं। विक्रेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में दिए गए तर्क से विक्रेता के उपर लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता बतलाया गया। बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2011 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन एवं जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई थी। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि जॉच की तिथि को अपीलार्थी की दुकान बंद थी, जो सही है। जॉच की तिथि के पूर्व दिनांक 8.1.2012 को अपीलार्थी की पत्नी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसे इलाज हेतु छपरा ले जाया गया था। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भर्त्ती कर लिया गया था, जिसकी चिकित्सीय पुर्जा संलग्न है। यह भी बतलाया कि मरीज की देख–रेख व पैसे के भुगतान के लिए दिनांक 8.1.2012 से 11.1.2012 तक हेल्थ केयर छपरा में ही रूकना पड़ा था, जिस कारण अपीलार्थी की दुकान बंद थी। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया। सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय	

दिशा–निर्देशों तथा अनुज्ञप्ति शर्त्तों एवं प्रावधानों के उल्लघन का परिचायक है। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि मान्य तरीके से किया गया है, इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि निरीक्षण तिथि को दुकान बंद थी तथा अपीलार्थी अनुपस्थित था। दुकान बंद रहने तथा अपीलार्थी अनुपस्थित रहने के संबंध में कहना है कि यदि किसी परिस्थति में या अपरिहार्य कारणों से जन वितरण प्रणाली की दुकान बंद रहती है या विक्रेता स्वयं उपस्थित रहने में सक्षम नहीं रहता हो, तो विक्रेता को दुकान से संबंधित सभी कागजात अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ही सौंपकर दुकान छोड़ना चाहिए, ताकि प्राधिकृत किए गए व्यक्ति के साथ जॉच दल को जॉच में पूर्ण सहयोग किया जा सके। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, जो आरोप प्रमाणित होता है। प्रायः ऐसा पाया जाता है कि जॉच दल के आने की सूचना मिलने पर विक्रेता अपनी दुकान बंद कर अनुपस्थित हो जाता है। अनुपस्थिति के कारण दुकान की भंडार पंजी, वितरण पंजी, उपभोक्ता पंजी इत्यादि की जॉच नहीं हो पाती है, जबकि विक्रेता की यह जिम्मेदारी बनती है कि जॉच दल को जॉच में पूर्ण सहयोग करें न कि जॉच को प्रभावित करने के उद्देश्य से दुकान बंद कर अनुपस्थित हो जाए। अतएव विक्रेता द्वारा जो अनियमितता बरती गयी थी, वह अनुज्ञप्ति शर्त्तों के उल्लंघन में है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के प्रश्नगत आदेश को बहाल रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 26 / न्यायालय दिनांक 23/01/2014

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को उनके पत्रांक 4214 दिनांक 28.12.2012 के द्वारा प्रेषित LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– NIC पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
27/1 जिला विधि शाखा, सारण।